

03.07.19 अधिवक्ता उच्च पत्र उपर। मुद्रा प्रकरण के साथ
पत्रावली दिनांक 24.07.19 को प्रेषित है।

(A)

जिला कलेक्टर

बीसा

24.07.19 अधिवक्ता उच्च पत्र उपर। मुद्रा प्रकरण के साथ
पत्रावली दिनांक 07.08.19 को प्रेषित है।

(A)

जिला कलेक्टर

बीसा

07.08.19 अधिवक्ता उच्च पत्र उपर। प्रार्थना पत्र स्वगत
से संबंधित मुद्रा अपील प्रकरण का निस्तारण हो
चुका है। इसलिए विचारार्थी प्रार्थना पत्र को
भाग्य चलाये जाने का औचित्य नहीं है। अतः
विचारार्थी प्रार्थना पत्र स्वगत खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार चेकर नम्बर
से क्रम दीपक खसलन मुद्रा अपील पत्रावली से
जावे। निर्णय आज दिनांक 07.08.19 को मेरे
द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(A)

जिला कलेक्टर

बीसा

